पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 133 / 2026

1 कुलदीप सिह पुत्र चन्ना सिह पुत्र करतारसिह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1 जीत सिह पुत्र करतारसिह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2 विमला बाई पुत्री चन्नासिह पत्नी छिन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील व जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:— चक नं० 2 एस. आर. डबल्यू के खाता सं0 25/19 में करतारसिह के नाम की आराजी के वादी व प्रतिवादी सं० 1 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं० 2 एस. आर. डबल्यू के खाता सं0 25/19 में से करतारसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।